न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री कुरीचन्द पिता मोगा यादव **बनाम** श्री लक्ष्मण पिता पूंजा ताबियाड़

पत्रावली संख्या– 05/2022

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
	दिनांक 20.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किये जावे कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांसिया तहसील सीमलवाड़ा के खाता संख्या नया 261 पुराना 222 के खसरा संख्या 3057/1581 रकबा 0.7689 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 260 नया 221 पुराना के खसरा संख्या 1814 रकबा 0.2266 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 3087/1581 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 1.8049 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी एवं उसका परिवार के सदस्य काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से कुछ दूरी पर विपक्षीगण की काश्त भूमि है। विपक्षीगण का प्रार्थीगण की उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। विपक्षीगण, प्रार्थीगण की आराजी भूमि में अतिक्रमण कर कब्जा करने हेतु आये दिन झगड़ा फसाद करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की भूमि में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिक्रमण स्वयं करें न ही अपने मित्र ऐजेन्ट, मजदुरों से करावें। वादग्रस्त आराजी का कोई भी हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करें न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पदित करें, जिससे राजस्व रिकार्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा न ही प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करें। ऐसे में ता फैसला रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलित की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि बांसिया तहसील सीमलवाड़ा के खाता संख्या नया 261 पुराना 222 के खसरा संख्या 3057/1581 रकबा 0.7689 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 260 नया 221 पुराना के खसरा संख्या 1814 रकबा 0. 2266 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 3087/1581 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 1.8049 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के फैसले तक किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करवायें। ऐसे में रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा	

...नतर पेश करें ... दस्तावेज पेश करें...

Scanned with OKEN Scanner